हमारी बात

न्याय आख़िर है क्या?

मुंबई के शक्ति मिल बलात्कार मामले में अदालत ने आरोपियों को मौत की सज़ा सुनाई। सरकारी वकील ने अपनी पुरज़ोर बहस में पितृसत्तात्मक मानसिकता के साथ न्याय के पक्ष को जोड़ते हुए इस जघन्य अपराध के लिए मृत्यु दंड की पैरवी की। इस फ़ैसले के बाद जहां एक ओर लोगों ने अदालत के इंसाफ़ की सराहना की वहीं दूसरी ओर नारीवादियों ने इसे न्यायोचित न मानते हुए इसका विरोध किया। नारीवादियों के अनुसार बलात्कार औरत के साथ होने वाला एक जघन्य अपराध है परन्तु इसे उसके ख़िलाफ़ होने वाला सर्वाधिक संगीन जुर्म नहीं माना जा सकता। आम धारणा के विपरीत बलात्कार होने के बाद औरत की ज़िंदगी खत्म नहीं हो जाती और न ही वह कोई 'ज़िंदा लाश' की तरह अपना जीवन बसर करती है। बलात्कार को हत्या के अपराध की तरह देखने का क़ानूनी नज़रिया भी सही नहीं है क्योंकि ऐसा होने पर अपराधी बलात्कार करने के बाद औरत की हत्या करने में कत्तई संकोच नहीं करेंगे। इसके अलावा औरतें भी बलात्कार की रिपोर्ट करने के बारे में दो बार सोचने लगेगीं खासतौर पर जब अपराध करने वाला उनका कोई जानकार या नज़दीकी संबंधी हो।

इसलिए हमारा विश्वास है कि मृत्युदंड की सज़ा महिलाओं के ख़िलाफ़ हो रहे अपराधों में 'न्याय' की बहाली नहीं हो सकती। हम राज्य व पुलिस की जवाबदेही की मांग करते हुए राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति के जीने का अधिकार के हनन का विरोध करते हैं। हम यह मानते हैं कि बदला लेने की भावना या हिंसा पर आधारित न्याय एक सभ्य और बराबरी चाहने वाले समाज का हिस्सा नहीं हो सकते।

हमारी न्याय की परिभाषा संकीर्ण या संकुचित भी नहीं है। सही मायने में न्याय तो भेदभाव, तिरस्कार, कमतरी और असमान सत्ता संबंधों को त्यागने में ही है। न्याय की परिभाषा में अपराधी को बदलने और अपनी गलती का प्रायश्चित करने का मौका प्रदान करना शामिल है। न्याय के मायने हैं औरतों और लड़कियों के लिए समान मौके, समान शिक्षा, समान प्यार और समान देखभाल। न्याय का अर्थ है अपने दायित्वों को समझना और उन्हें पूरा करना। गरीब-अमीर, छोटे-बड़े, सत्तावान और सत्ताहीन, असमान समाज की जगह एक ऐसे समाज की रचना जहां सभी सुरक्षित, आज़ाद और निडर हों। जहां शोषण, दमन और उत्पीड़न की जगह प्यार, सदभाव और सम्मान के मूल्य पनपते हों।

हम सबला के इस अंक में हम आपके साथ न्याय की अपनी इसी सोच को साझा कर रहे हैं। हर वर्ग, तबके और समुदाय के लिए न्याय के मायने क्या हैं और क्या होने चाहिए, यही नज़रिया अलग-अलग लेखों के माध्यम से सामने रखने की कोशिश इस अंक में की गई है। एक सर्वांगी, सतत और सशक्त समाज की स्थापना में हमारी कोशिशें इन्हीं मूल्यों और विचारों की नींव पर टिकी हैं। हम इस मत पर भी क़ायम हैं कि अमन और खुशहाली लाने के लिए जीवन के हर स्तर पर न्याय को सर्वोपरि रखने से ही हम एक बेहतर, सशक्त और समानता आधारित समाज की रचना में अपना योगदान कर पाएंगे।

जुही